

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक-22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(17)का/आर.एम.एस./डीएलबी/15/ 6387 दिनांक : 13-5-19

आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 के अन्तर्गत स्थाई वरिष्ठ लेखाधिकारी की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.19 की स्थिति को दर्शाते हुए विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 5306-5323 दिनांक 02.04.19 को जारी कर 15 दिवस में आपत्तियां मांगी गई थी।

उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अ.शा.टीप सं. 4(1)कार्मिक/क-2/अ.प्र./2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में वरिष्ठ लेखाधिकारी पद की स्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.19 की स्थिति को दर्शाते हुए निर्देशानुसार निम्नानुसार जारी की जाती है :-

दिनांक 01.04.19 की स्थिति

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति वर्ष	स्थाईकरण दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री कमल किशोर सोनी	21.09.59	01.04.14	01.04.15	-
2.	श्री महेन्द्र कुमार जैन	01.01.62	01.08.15	01.08.16	-
3.	श्री मातादीन शर्मा	07.08.60	01.04.17	01.04.18	-
4.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	15.05.64	01.04.17	01.04.18	-

श्री मालचन्द शर्मा का पदोन्नति प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन होने से स्थाईकरण नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णयानुसार वरिष्ठता सूची में यथा स्थान नाम जोड़ा जावेगा।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 13-5-19

क्रमांक : प.1(क)(17)का/आर.एम.एस./डीएलबी/15/ 6388-6410

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर/जयपुर/जोधपुर/बीकानेर।
04. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
05. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद, नागौर/किशनगढ (अजमेर)/पाली/हनुमानगढ।
06. श्री.....वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर निगम/परिषद, जयपुर/नागौर/किशनगढ (अजमेर)/पाली/हनुमानगढ।
07. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(सुनील माटी)
अतिरिक्त निदेशक